भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1068
27 जून, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को आवास

1068. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :
क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को अब तक कितने आवास आबंटित किए गए हैं; और
(ख) इस संबंध में भावी योजना क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} के तहत महाराष्ट्र के पालघर शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 32 लाभार्थियों को शामिल करके एक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) परियोजना और एक भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) परियोजना में 9,176 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवासों का अनुमोदन किया गया है। बीएलसी परियोजना के लाभार्थियों में 02 अनुसूचित जाति और 23 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल हैं। एएचपी परियोजना के लिए, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त का दावा करने से पहले पात्र लाभार्थियों की पहचान करे।

(ख) : प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} के तहत शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए राज्य को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2022 तक "सबके लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शेष लाभार्थियों को समय पर सम्मिलित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव की प्रस्तुती में फास्ट ट्रैक नीति बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

***